न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 134 / 2016

1 अजीत सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी दिनांक 12.06.2015, उनवानी दावा
सरकार बनाम अजीत सिंह अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी (टिनेन्सी) अधिनियम 1955
मु.नं. 341 / 2013

उपस्थिति :

1. श्री नन्दकिशोर शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांक:— 6.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 341/2013 में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादी/अपीलान्ट के विरूद्व पेश किया गया है ग्राम राजीवपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 235, 236, 240 कुल किता 3 कुल रकबा 2.40 हैक्टेयर की खातेदारी अजीत सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी मणकसास अवैध रूप से खसरा नम्बर 235, 236, 240 रकबा 2.40 है. भूमि में अवैध रूप से बजरी निकाल कर बेचान करते है तथा भूमि में बजरी निकाल कर गहरे गढ्ढे कर दिए है तथा कृषि भूमि का स्वरूप नष्ट कर दिया है। खोदी गई भूमि काश्त के लायक नहीं रह गई है। इसलिए उक्त खसरा नम्बर की भूमि से प्रतिवादी अजीतसिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी मणकसास को बेदखल किया जावे। उक्त दावा बाबत अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं मिली तथा दिनांक 12.06.2015 को ही बिना अपीलान्ट को सुने व बिना कोई शपथ पत्र साक्ष्य लिए कैम्प में वाद पत्र स्वीकार करते हुए डिक्री जारी की, कि ग्राम राजीवपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 235, 236, 240 किता 3 कुल रकबा 2.40 हैक्टेयर को तथा खसरा नम्बर 241 रकबा 2.01 हैक्टेयर राजकीय भूमि घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि के वर्तमान खातेदार की खातेदारी समाप्त की जाती है तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे तथा उक्त भूमि के खातेदारों को भूमि से बेदखल किया जाकर भूमि को राजहक में लेवे। उपखण्ड अधिकारी के उपरोक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2015 के विरूद्व यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पक्षकारों की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध तामील पर्याप्त मानकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया विचारण न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना, अपील को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में सम्यक तामील के उपरांत एकपक्षीय कार्यवाही कर पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग साबित पाये जाने पर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। अपील मियाद बाहर है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में पक्षकारों की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना, अपील को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)